कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला जबलपुर

जबलपुर,दिनांक 24/-7-/2025

क्र./2025/मान्यता/ 629

-: आदेश :-

1. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुरके विषय में अनुचित फ़ीस वृद्धि एवं अन्य विषयों पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित ज़िला समिति द्वारा विचारण किया गया।
2. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुरके प्रबंधन द्वारा विगत वर्षों में की गई फ़ीस वृद्धि की प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर

CLASS	सत्र 2017-18 में फ़ीस	सत्र 2018-19 में फ़ीस	सत्र 2019-20 में फ़ीस	सत्र 2020-21 में फ़ीस	सत्र 2021-22 में फ़ीस	सत्र 2022-23 में फ़ीस	सत्र 2023-24 में फ़ीस	सत्र 2024-25 में फ़ीस
1	33000	36000	38000	40000	44000	48000	48000	48000
2	33000	36000	38000	40000	44000	48000	48000	48000
3	33000	36000	38000	40000	44000	48000	48000	48000
4	33000	36000	38000	40000	44000	48000	48000	48000
5	38000	41000	45000	46000	50000	54000	54000	54000
6	38000	41000	45000	46000	50000	54000	54000	54000
7	38000	41000	45000	46000	50000	54000	54000	54000
8	38000	41000	45000	46000	50000	54000	54000	54000
9	52000	52000	54000	54000	57000	63000	63000	63000
10	52000	52000	54000	54000	57000	63000	63000	63000
11	52000	52000	54000	54000	57000	63000	63000	63000
12	52000	52000	54000	54000	57000	63000	63000	63000

3. म.प्र. निजीविद्यालय (फीसतथासंबंधितविषयोंकाविनियमन) अधिनियम2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत फ़ीस वृद्धि के लिए निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है।

क्र.	अधि.2017 की धारा	नियम 2020	संक्षिप्त विवरण
1	4(1),	3(2) (दो)	• अधिनियम प्रारंभ होने के 90 दिवस के भीतर निजी विद्यालय पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करेगा। • निजी विद्यालय का प्रबंधन आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फीस संरचना को दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	4(3)	3(2)(चार)	• निजी विद्यालय प्रबंधन आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फ़ीस संरचना प्रारूप-तीन में सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। प्रारूप-तीन में फ़ीस की प्रत्येक मद में वृद्धि का औचित्य भी उल्लेखित करना आवश्यक होगा।
2	10(2)	3(4)	प्रस्तावित फ़ीस संरचना की जानकारी नियत समय-सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में ज़िला समिति उक्त निजी विद्यालय पर अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगी।
3	5(2)	-	वार्षिक प्राप्तियों का अधिक्य कुल प्राप्तियों के 15% से कम होने की स्थिति में ही फीस वृद्धि लागू की जा सकती है।
4	5(3)(क)	4(1)	निजी विद्यालय द्वाराविगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक फ़ीस वृद्धिका प्रारूप-3 में प्रस्तुत प्रस्ताव ज़िला समिति को सम्यक् रूप से सूचित और मान्य होगा। ज़िला समिति द्वारा इस संबंध में कोई पृथक् से आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं होगा।
5	5(3)(ख)	4(2)	विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक किंतु 15 प्रतिशत से कम फ़ीस वृद्धिप्रस्तावपर ज़िला समिति द्वारा 45 कार्य दिवस में निर्णय लिया जायेगा।
6	5(3)(ख) 5(3)(ग)	4(3)+4(6)	विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फ़ीस वृद्धि प्रस्तावज़िला समिति द्वारा 07 कार्य दिवस में अभिमत के साथ राज्य समिति को प्रेषित किया जाएगा। राज्य समिति द्वारा 45 कार्य दिवस में निर्णय लिया जायेगा।
7	10(1)	9(7)	ज़िला समिति द्वारा नियम 4 के अधीन अनुज्ञात फ़ीस से अधिक संग्रहित फ़ीस छात्रों, पालकों या अभिभावकों को वापस करने संबंधी आदेश निजी विद्यालय प्रबंधन को दिया जा सकेगा।
8	10(6)	9(11)	यथा आदेशित राशि का भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली ज़िला कलेक्टर द्वारा बकाया भू राजस्व की भाँति की जा सकेगी।

4. गठित परिक्षण दल के प्रतिवेदन अनुसार जाँच में विद्यालय प्रबंधन द्वारा म.प्र. निजीविद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत निम्नलिखित अनियमितताएँ किया जाना सिद्ध पाया जाता है –

   i. अधिनियम लागू होने के 90 दिवस के भीतर पूर्ववर्ती 3 वर्षो के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गए। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(1) का उल्लंघन है। दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जो जिला कार्यालय में जमा नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना एवं जिला स्तर पर पूर्व की रिपोर्ट भी जमा न करना अधिनियम की धारा 4(1) सहपठित नियम 3(1) (दो) का उल्लंघन है।

   ii. शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2024-25 में फीस वृद्धि की जानकारी मार्च-अप्रैल माह में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जगा नहीं की है एवं प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह अधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है।

Scanned with OKEN Scanner

iii. प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्ररूप-तीन में 2021-22 एवं बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(3) सहपठित नियम 3(2)(चार) का उल्लंघन है। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से 2020 -21 में प्रस्तावित फीस वृद्धि संरचना को दस्तावेजों एवं लेखा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया । यह अधिनियम की धारा 4(3) का उल्लंघन है।

iv. प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी प्रारूप-3 में बाद के वर्षों में प्रस्तुत नहीं की गई। अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से फ़ीस वृद्धि के औचित्य को जानबूझकर पालकों, ज़िला समिति एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया। यह कृत्य अधिनियम की धारा 4(3) सहपठित नियम 3(2)(चार) का उल्लंघन है।

v. 10 प्रतिशत तक फ़ीस वृद्धि की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। फ़ीस वृद्धि के औचित्य को जान बूझकर छुपाया गया और पालकों तथा ज़िला समिति एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया तथा फ़ीस की वसूली की गई। यह कृत्य नियम 3(2)(चार) एवं 4(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

vi. ज़िला समिति/राज्य समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बग़ैर विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक फ़ीस की वृद्धि कर वसूली की गई। यह कृत्य अधिनियम की धारा 5(3)(ख) सहपठित नियम 4(2) एवं धारा 5(3)(ग) का उल्लंघन है जिस कारण से नियम 4(3) की कार्यवाही का पालन नहीं हुआ।

5. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर के पत्र क्र./मान्यता/2024/3002/**47** जबलपुर दिनांक 18.04.2024 से प्रबंधक/प्राचार्य रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुरको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

6. फ़ीस वृद्धि के संबंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया | विद्यालय प्रबंधन का कथन है कि फीस में विगत वर्षों में कभी भी 10% से अधिक वृद्धि नहीं की गई:

7. विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के परीक्षण उपरांत बिन्दुवार तथ्य निम्नानुसार पाए गए

i. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 का पालन नहीं किया गया।

ii. उक्त वर्षों में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 4(3) के अनुसार फीस संरचना को दस्तावेजों और लेखों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 3(2) के तहत फीस की जानकारी जिला समिति, जबलपुर में निर्धारित प्रारूप में जमा नहीं की गई। कोई अनुमतियाँ प्राप्त नहीं की गई हैं।

8. कलेक्टर शिक्षा जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/मान्यता/2024/7368 जबलपुर दिनांक 10/09/2024 द्वारा जांच में पाये गये तथ्यों की जानकारी निम्न बिंदुवार संस्था को उपलब्ध करायी गई:-

I. ऑडिट रिपोर्ट में अर्जित आधिक्य

II. वर्ष 2017-18 की तुलना में कक्षावार फीस वृद्धि प्रतिशत।

III. प्राप्त की गई अतिरिक्त फीस की राशि।

IV. स्कूल बैग के वजन की जानकारी

V. विद्यालय प्रबंधन द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल नवीन पुस्तकों की जानकारी |

Vi विद्यालय में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में ISBN मिलान न होने की जानकारी |

Scanned with OKEN Scanner

इस सबंध में उक्त बिन्दुओं का जवाब पत्र प्राप्ति से तीन दिवस के अंदर अपनी आपत्तियों के संबंध में सप्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था ।

9. दिनांक 10.09.2024 को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला समिति द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं सहपठित नियम 2020 के अंतर्गत रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में खुली सुनवाई का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन को बचाव का अवसर प्रदान किया गया।

10. समक्ष में हुई खुली सुनवाई दिनांक 10.9.2024 का विवरण निम्नानुसार है ,जिसमें विद्यालय प्रबंधन को जांच में प्राप्त सभी तथ्यों को विस्तार से बताया गया तथा कहा गया कि इसका उत्तर आप अभी या कुछ समय लेकर दे सकते हैं:-

i. जांच में प्राप्त तथ्यों को पीपीटी के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया गया , जिसमें मुख्य रूप से निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 की जिन धाराओं और नियमों का पालन नहीं हुआ उनके आधार पर उत्पन्न विसंगतियों का उल्लेख किया गया।

ii. इसमें अधिक फीस वसूली ,बस्ते के वजन में वृद्धि, पुस्तकें परिवर्तित करने और ISBN मिलान नहीं होने वाली पुस्तकों की संख्या अधिक होने पर चर्चा की गई।

iii. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर प्रबंधन की ओर से प्रबंध कारणी के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह चौहान शिक्षक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

iv. विद्यालय प्रबंधन प्रतिनिधि द्वारा अपना लिखित जवाब 20 दिवस में देने का आश्वासन दिया गया ।

11. दिनांक 10/09/2024 की खुली सुनवाई के उपरांत विद्यालय प्रबंधन को यह अवसर प्रदान किया गया था कि विद्यालय से संबंधित जांच में पाए गए तथ्यों के संबंध में अपना पक्ष सप्रमाण रख सकते हैं |

12. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुद्वारा दिनांक 26/09/2024 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नानुसार है –

बिन्दु कं.1 2017 से 2023-24 तक की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आपके द्वारा जो आधिक्य अर्जित विवरण में जो calculation है उसमें fixed assests में हुआ खर्च नहीं घटाया गया है, fixed assets में हुए खर्च के बाद फीस आधिक्य निम्नानुसार रहेगा।

FINANCIAL YEAR	PARTICULARS	AMOUNT RS	NET SURPLUS / DEFICIT %
2017-18	Total Receipt:	3,20,68,969.15	
	Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure:	1,92,48,915.18 1,28,20,053.97	
	Purchase of Fixed Assets:	24,95,022.00	
	Repayment of Bank Loan:	13,87,915.00	
	Net Surplus/Deficit During the	-35,63,783,03	-11.11%
2018-19	Total Receipt:	3,26,44,769.99	
	Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure:	2,85,83,179.86 40,61,590.13	

	Purchase of Fixed Assets: Net Deficit During the Year: -	40,37,685.00 23,905.13	0.07%
2019-20	Total Receipt: Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure: Purchase of Fixed Assets: Net Surplus During the Year:	2,89,04,277.95 2,04,41,961.79 84,62,316.16 41,44,852.00 43,17,464.16	14.94%
2020-21	Total Receipt: Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure Purchase of Fixed Assets: Net Surplus During the Year:	1,78,07,549.20 1,32,98,819.07 45,08,730.13 29,06,418.00 16,02,312.13	9.00%
2021-22	Total Receipt: Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure Purchase of Fixed Assets: Net Surplus During the Year:	2,32,57,335.22 1,59,62,026.41 72,95,308.81 44,36,253.00 28,59,055.81	12.29%
2022-23	Total Receipt: Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure Purchase of Fixed Assets: Net Surplus During the Year:	2,38,11,726.06 2,14,18,486.98 23,93,239.08 20,46,830.00 3,46,409.08	1.45%
2023-24	Total Receipt: Administrative Expenses: Excess of Income Over Expenditure Purchase of Fixed Assets: Net Surplus During the Year:	2,72,57,165.33 2,11,87,725.14 60,69,440.19 37,19,338.00 23,50,102.19	1.45%

बिन्दु क्र.2 - संस्था की 2018-19 से लेकर 2024-25 तक आपके द्वारा जो गणना की गई है वह cumulative है। प्रतिवर्ष संस्था द्वारा जो फीस बढ़ाई गई है वह निम्न प्रकार है।

साथ ही DPI Portal पर 2021-22 से लेकर 2024-25 तक जानकारी upload कर दी गई है, जिसमें भी फीस वृद्धि की जानकारी नियमानुसार है cumulative नहीं है साथ ही Auto Approved है।

Class	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1st	9.09	6.06	6.06	10.00	9.09	0.00	0.00
2nd	9.09	6.06	6.06	10.00	9.09	0.00	0.00
3rd	9.09	6.06	6.06	10.00	9.09	0.00	0.00
4th	9.09	6.06	6.06	10.00	9.09	0.00	0.00
5th	7.89	10.53	2.63	8.70	8.00	0.00	0.00
6th	7.89	10.53	2.63	8.70	8.00	0.00	0.00

Scanned with OKEN Scanner

7th	7.89	10.53	2.63	8.70	8.00	0.00	0.00
8th	7.89	10.53	2.63	8.70	8.00	0.00	0.00
9th	0.00	3.85	5.56	10.53	0.00	0.00	0.00
10th	0.00	3.85	5.56	10.53	0.00	0.00	0.00
11th	0.00	3.85	5.56	10.53	0.00	0.00	0.00
12th	0.00	3.85	5.56	10.53	0.00	0.00	0.00

नोट- वर्ष 2022-23 में कक्षा 9 से 12 वीं तक 0.53 प्रतिषत, फीस अधिक ली गई, जो राषि में 300/- है, वह CBSE की रजिस्ट्रेषन फीस थी, जिसे स्कूल फीस के साथ लिया गया था अतः स्कूल फीस 10 प्रतिषत ही बढ़ाई गई थी।

बिन्दु कं.3 फीस collection नियमानुसार ही किया गया है प्रतिवर्ष जो भी फीस बढ़ाई गई उसी अनुपात में स्टाफ सैलरी एवं अन्य खर्च भी हुए है। अत' अधिक फीस की जो राषि आपने सूचित की है वह निराधार है। संस्था की ऑडिट रिपोर्ट से स्पष्ट है।

बिन्दु कं.4 - पुस्तकों एवं स्टेषनरी के वजन संबंधी जानकारी आपको पूर्व में भी भेजी जा चुकी है पुन' आपकी ओर जानकारी प्रस्तुत है कि वच्चे सभी किताबें एक साथ नहीं लाते हैं वह टाइम टेबल के अनुसार लातें हैं जिससे षासकीय नियमानुसार बैग का वजन ज्यादा नहीं होता है।

बिन्दु क.5 - इस विन्दु में नवीन किताबों के षामिल होने की जानकारी है।

सत्र 2023-24 से सत्र 2024-25 में जो कक्षावार किताबें बदली गई है। उनके content को देखकर NEP के नये पाठ्यक्रमानुसार बदलना आवष्यक था इसलिए वदली गई।

बिन्दु कं.6 - इस विन्दु में संस्था में लगी पुस्तको के ISBN नं. से संबंधित जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा कुल 104 किताबों में से 24 किताबों का ISBN नं. मिलान न होने की जानकारी दी गई है। इस बिन्दु की जानकारी कक्षावार किताबों के नाम के साथ पूरी ISBN नं. की जानकारी पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ आपके अवलोकन हेतु संलग्न है।

13. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुविद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जारी पत्र क्रमांक/7368 दिनांक 10/09/2024 में दिए गए जांच मे पाए गए तथ्यों के बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का सप्रमाण समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

I. Fixed assets एवं Repayment of loan विद्यालय के नियमित खर्च नहीं हैं अतः खर्च गणना में इन्हे शामिल नहीं किया जा सकता है अतः उपरोक्त खर्चों के कारण आधिक्य को कम नहीं किया जा सकता |

II. विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2017-2018 से सत्र 2024-25 की फीस संरचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार फीस वृद्धि का औचित्य निर्धारित प्रारूप में सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व प्रस्तुत की जानी थी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा ओडिट रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत नही की गयी। जो कि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) अधिनियम 2017 एवं म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियमन) नियम 2020 की धारा 4 (1), 4 (3) का उल्लघंन होने के कारण धारा 5 (3) (क) लागू नहीं होती है। जिससे प्रबंधन को 10 प्रतिशत फ़ीस वृद्धि मान्य करने योग्य नहीं है।

III. विद्यालय प्रबंधन द्वारा जांच अधिकारी को दिए गए प्रमाणित शुल्क विवरण के आधार पर ही गणना की गई है । विद्यालय प्रबंधन द्वारा जिस गणना को त्रुटिपूर्ण माना जा रहा है उनके समर्थन में अपनी कोई गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

IV. विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तक एवं स्टेशनरी सूची के आधार पर बैग का वजन निकाला गया बच्चों की कुल पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वजन अधिक पाया गया। विद्यालय प्रबंधक का यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि छात्र प्रतिदिन सभी किताबें एक साथ नहीं लाते हैं।

V. विद्यालय प्रबंधन द्वारा कुल 104 पुस्तकों में से 55 पुस्तकें गत सत्र में बदली गई हैं। जिसका कोई निश्चित आधार नहीं बताया गया है।

VI. विद्यालय प्रबंधन द्वारा कुल 104 पुस्तकों में से 24 पुस्तकों में ISBN का मिलान नहीं हुआ है।

उक्त बिंदुओं के आधार पर पाया गया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब मान्य योग्य नहीं है

14. विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर के संदर्भ में ज़िला समिति द्वारा विचारण किया गया –

i. दिनांक 25.1.2018 में अधिनियम लागू हुआ जिसमें धारा 4(1) के अनुसार अधिनियम लागू होने के 90 दिन के अंदर 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जिला समिति को दिया जाना था जो नहीं दी गई तथा दिसंबर 2020 में जब नियम लागू हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी जो जिला कार्यालय में जमा नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना एवं जिला स्तर पर पूर्व की रिपोर्ट भी जमा न करना अधिनियम की धारा 4(1) सहपठित नियम 3(1) (दो) का उल्लंघन है।

ii. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 4(3) के अनुसार फीस संरचना को दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करना तथा सहपठित म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 3(2)(चार) के तहत मदवार फ़ीस वृद्धि की औचित्य सहित जानकारी प्रारूप-3 में प्रति वर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त जानकारी संसूचित होने के उपरांत ही प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि को विहित प्रक्रिया अनुसार मान्य किया जाना अपेक्षित है।

iii. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जांच दल को वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रति वर्ष का वार्षिक प्राप्ति अधिक्य निम्नानुसार है -

स क्र	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति अधिक्य
1	2017-18	39.97%
2	2018-19	12.44%
3	2019-20	29.277%
4	2020-21	25.319%
5	2021-22	31.367%
6	2022-23	10.05%
7	2023-24	17.49%

Scanned with OKEN Scanner

The noticeable findings from the audit reports from each of the above financial years are as following-

a. 2017-18

- Rs 466350.00 are being spent under head of "Education Tour" for which the school management has provided no justification as about the details of participants of the tour, place and purpose of the visit or the outcomes or benefits derived out of the tour.
- Donation worth amount Rs 26000.00 has been made out of the school funds for which no clarifications have been provided.
- No documentary clarifications such as payment vouchers or agreement etc. regarding Security Guard Expenses worth Rs 804000.00 made during the year have been provided.

b. 2018-19

- Rs 139631.00 are being spent under head of "Education Tour" for which the school management has provided no justification as about the details of participants of the tour, place and purpose of the visit or the outcomes or benefits derived out of the tour.
- No documentary clarifications such as payment vouchers or agreement etc. regarding Security Guard Expenses worth Rs 864800.00 made during the year as against the amount of Rs 804000.00 paid during previous year, have been provided by the school management neither any reason have been given regarding the increased payments being made.
- The amount of Rs 108.60 Lakhs paid to the bank under the head of "Interest Paid to Bank" where the total amount of loan taken from the bank is Rs 286.68 Lakhs has not been justified by the school management and not documentary evidences have been provided that whether the payment of such amount has been approved by the Competent Committee, Noticeably the payment of such big amount has reduced the Surplus considerably.

c. 2019-20:

Scanned with OKEN Scanner

- Rs 113300.00 are being spent under head of "Education Tour" for which the school management has provided no justification as about the details of participants of the tour, place and purpose of the visit or the outcomes or benefits derived out of the tour
- No documentary clarifications such as payment vouchers or agreement etc. regarding Security Guard Expenses worth Rs 929400.00 made during the year as against the amount of Rs 864800.00 and Rs 804000.00 paid during FY 2018-19 and 2017-18 respectively, have been provided by the school management neither any reason have been given regarding the increased payments being made.
- Donation worth amount Rs 16000.00 has been made out of the school funds for which no clarifications have been provided.
- iv. Rs 331364.00 are being spent under head of "CBSE Board Affiliation Fees for which the school management has provided no justification or any documentary evidence.
- As per the Schedule-A annexed with the Final Accounts, which pertains to the details of Fixed Assets, an addition of Rs 1923498.00 was being made towards Swimming Pool, for which no documentary evidence has been provided that whether such expansion was being approved by the Competent Committee. Also information about how the pool is being utilized; in regards to whether it is being used by the school students exclusively or the school uses the pool commercially by allowing the usage by common public in-lieu of some fee, is unavailable.

d. 2021-22:

- Rs 1000000.00 are being spent under head of "Salary to Administrative Staff" made during the year as against the amount of Rs 500000.00 paid during FY 2020-21 for which the school management has provided no justification regarding sudden increase in the concerned head.

e. 2022-23

- Rs 2917601.00 are being spent under head of "Salary to Administrative Staff" made during the year as against the amount of Rs 1000000.00 and Rs 500000.00 paid during FY 2021-22 and FY 2020-21 respectively for which the school management has provided no justification regarding sudden increase in the concerned head.
- Rs 636822.56 are being spent under head of "Travelling & Conveyance Expenses" made during the year as against the amount of Rs 86639.35 paid during FY 2021-22

Scanned with OKEN Scanner

for which the school management has provided no justification regarding sudden increase in the concerned head.

- Sudden increase in such expenses has reduced Surplus considerably

f. 2023-24

Rs 9270000.00 are being spent under head of "Salary" made during the year as against the amount of Rs 6814526.00 and Rs 6307580.00 paid during FY 2022-23 and FY 2021-22 respectively for which the school management has provided no justification regarding sudden increase in the concerned head.

जांच में पाया गया कि म प्र निजी विद्यालय (फ़ीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित म.प्र. निजी विद्यालय (फ़ीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 12 के अनुसार समस्त व्यय संबंधित प्रमाणक तथा उप प्रमाणक का संधारण किया जाना चाहिए था। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रमाणक अवलोकनार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

iv. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर जबलपुर द्वारा प्रस्तावित फ़ीस वृद्धि संरचना की जानकारी सम्यक रूप से संसूचित नहीं की गई, इसके संबंध में विद्यालय प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी है। जिन सत्रों में शुल्क वृद्धि की गई है उन सत्रों की सम्यक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। स्पष्ट है कि विद्यालय शुल्क वृद्धि को छुपाना चाहता है। इसके बाद के वर्षों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को नहींदी गई है।

v. सतत कई वर्षों तक जानकारी नहीं प्रस्तुत करना क़तई स्वीकार योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि फ़ीस वृद्धि कर अनुचित लाभ कमाने के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानबूझ कर उक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

vi. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर जबलपुर के प्रबंधन द्वारा कभी भी उक्त आज्ञापक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियत समय-सीमा के पश्चात जानकारी प्रस्तुत करने पर अर्थदंड का प्रावधान है, पर यह व्यवस्था अनिश्चित काल तक के विलंब के लिए स्वाभाविक तौर पर नहीं है। कतिपय दिवस/सप्ताह का विलंब इस नियम की परिधि में विचारणीय अवश्य हो सकता है, पर सतत कई वर्षों तक जानकारी नहीं देना इस नियम की परिधि में नहीं आता है। यह सिद्ध है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानबूझ कर उक्त आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

vii. अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक 25/01/2018 से स्कूल संचालक द्वारा फीस वृद्धि के औचित्य का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार पूर्ववर्ती 3 वर्षों की न तो ऑडिट रिपोर्ट जमा की गई और न ही धारा 4(3) के अनुसार प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी जमा की गई, जिससे धारा 5(2) का पालन नहीं हुआ। चूंकि प्रबंधन द्वारा अधिनियम लागू होने के दिनांक से स्कूल संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने तक किसी भी वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट और प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी सम्यक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अधिनियम लागू होने के दिनांक से पश्चातवर्ती सत्रों में की गई समस्त फीस वृद्धि अवैधानिक है। अधिनियम लागू होने के दिनांक के पूर्व शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निर्धारित फीस को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस वृद्धि की गणना का आधार माना जायेगा।

15. अधिनियम लागू होने के दिनांक से पश्चातवर्ती सत्रों में की गई समस्त फीस वृद्धि वैधानिक नहीं होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निर्धारित फीस को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस वृद्धि की गणना का आधार माना जाने पर वसूल की गई अवैधानिक फीस वृद्धि की प्रतिशत स्थिति निम्नानुसार है -

Scanned with OKEN Scanner

अवैधानिक फीस वृद्धि की प्रतिशत स्थिति

CLASS	वर्ष 18-19	वर्ष 19-20	वर्ष 20-21	वर्ष 21-22	वर्ष 22-23	वर्ष 23-24	वर्ष 24-25
1st	9.09	15.15	21.21	33.33	45.45	45.45	45.45
2nd	9.09	15.15	21.21	33.33	45.45	45.45	45.45
3rd	9.09	15.15	21.21	33.33	45.45	45.45	45.45
4th	9.09	15.15	21.21	33.33	45.45	45.45	45.45
5th	7.89	18.42	21.05	31.58	42.11	42.11	42.11
6th	7.89	18.42	21.05	31.58	42.11	42.11	42.11
7th	7.89	18.42	21.05	31.58	42.11	42.11	42.11
8th	7.89	18.42	21.05	31.58	42.11	42.11	42.11
9th	0.00	3.85	3.85	9.62	21.15	21.15	21.15
10th	0.00	3.85	3.85	9.62	21.15	21.15	21.15
11th	0.00	3.85	3.85	9.62	21.15	21.15	21.15
11th	0.00	3.85	3.85	9.62	21.15	21.15	21.15
TOTAL	**5.66**	**12.47**	**15.37**	**24.84**	**36.24**	**36.24**	**36.24**

16. शैक्षणिक सत्र 2017-18 की तुलना में अवैधानिक रूप वसूल की गई राशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	शैक्षणिकसत्र	कुलछात्र संख्या	अवैधानिकरूप से वसूल की गई कुल फ़ीस	अधिनियम **2017** की धारायें एवं नियम **2020** के नियम जिनका पालन नहीं हुआ
1	2018-19	585	987000	-
2	2019-20	606	2511000	धारा 4(1),4(3),5(3)(ख)
3	2020-21	520	2696000	धारा 4(1),4(3),5(3)(ख)
4	2021-22	527	4626000	धारा 4(1),4(3),5(3)(ख) ,धारा5(2)
5	2022-23	604	8065000	धारा 4(1)नियम 3(1)(दो),3(2)(चार) ,धारा5(2)
6	2023-24	647	8672000	धारा 4(1)नियम 3(1)(दो),3(2)(चार)
7	2024-25	625	8584000	धारा 4(1)नियम 3(1)(दो),3(2)(चार)
योग		4114	3,61,41,000	तीन करोड़ इकसठ लाख इकतालीस हजार

17. फ़ीस वृद्धि के संबंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्णित अनियमितताएँ कारित कर उल्लेखित विवरण अनुसार नियमों का उल्लंघन किया जाना सिद्ध है। अतः ज़िला समिति द्वारा सर्व सम्मति से म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम **2017**की धारा 10(1) सहपठित नियम 9**(7)** एवं नियम **9(8)** के तहत शैक्षणिक सत्र **2017-18**केपश्चातकीगईसमस्त फ़ीस वृद्धि को अमान्य करने का विनिश्चय किया गया है।

18. यह आदेशित किया जाता है कि बिन्दु क्रमांक 16 में अंकित अनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुज्ञात फ़ीस से अधिक संग्रहित फ़ीस को छात्र-छात्राओं/अभिभावकोंको (जिनसेकि फ़ीस संग्रहित की गई है) को **30** दिवस की समयावधि में वापस करें।

Scanned with OKEN Scanner

19. जिला समिति के विनिश्चय के अनुसार 2018-19 से 2024-25तक की गयी शुल्क वृद्धि अमान्य की गयी हैं अतः रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर की वर्तमान सत्र की शुल्क निम्न तालिका अनुसार रहेगी –

कक्षा	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th
शुल्क	33000	33000	33000	33000	38000	38000	38000	38000	52000	52000	52000	52000

20. जिला समिति के विनिश्चय के अनुक्रम में प्रबन्धक/प्राचार्य रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर जबलपुर को आदेशित किया जाता हैं कि बिन्दु क्रमांक **16** के अनुसार प्राप्त की गयी अनधिकृत शुल्क आदेश प्राप्ति से 30 दिवस में संबंधित छात्र-छात्राओं/अभिभावकों को उसी रीति से वापिस किया जाये,जिस रीति से शुल्क प्राप्त की गयी हैं।

21. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत पाई गई अनियमितताओं के कारण रुपए दो लाख की शास्ति विद्यालय प्रबंधन पर अधिरोपित की जाती है।

अतः विद्यालय प्रबधन को निर्देशित किया जाता है कि आप शास्ति की राशि को निम्न बैंक खाते में आदेश दिनांक से तीस दिवस के अंदर ऑनलाइन जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में जमा कराना सुनिचित करें।

क्र.	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई एफ एस सी कोड	खाता धारक का नाम
01	**HDFC BANK M.P. NAGAR BHOPAL**	50200059579785	**HDFC0001257**	**Commissioner Public Instruction MP**

22. जांच समिति द्वारा पाठ्य पुस्तकों ,स्कूल बैग के वजन तथा गणवेश एवं अन्य अनिमितताओ से संबंधित जांच की गई है जिस पर जिला समिति द्वारा बाद में परीक्षण हेतु विचार किया जाएगा।

23. आदेश पालन पश्चात् कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में प्रस्तुत किया जावें।

Scanned with OKEN Scanner

24. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017की धारा 11(1) एवं सहपठित नियम 11 के अनुक्रम में रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर राज्य समिति के समक्ष आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति द्वारा अनुमोदित)

(घनश्याम सोनी)
जिलाशिक्षाअधिकारी
सदस्य सचिव जिला समिति
जिला-जबलपुर

पृष्ठांकन क्र./2024/मान्यता/ 630

जबलपुर,दिनांक - 24/1/2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभाग-आयुक्त(राजस्व),संभाग-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर,जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर(शहर),जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी,जिला-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. सम्बन्धित प्रबंधक/प्राचार्य रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर जबलपुर की ओर पालनार्थ।

जिलाशिक्षाअधिकारी
सदस्य सचिव जिला समिति
जिला-जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner